By–email

पत्रांक–म०भो०/को०–160/2012...855/

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला मध्याह्न भोजन योजना, प्रभारी पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 6.5.13

विषयः बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों के अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 17412 दिनांक 20.12.2012 द्वारा निदेश दिया गया था कि विभिन्न विभागों के द्वारा क्षेत्रीय स्तरों के लिए सृजित पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई नहीं की जाए।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त निदेश के कारण कतिपय जिला में बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति अन्तर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों को अवधि विस्तार नहीं दिया गया तथा रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा पर नियोजन की प्रक्रिया रोक दी गई। इस संबंध में कई जिला, मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा निदेशालय से मार्ग दर्शन की भी माँग की गई थी।

3. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग का उक्त संकल्प सरकार द्वारा सृजित पदों के विरूद्ध संविदा पर नियुक्ति के संबंध में है। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति एक पंजीकृत संस्था है तथापि उक्त समिति अन्तर्गत संविदा पर नियोजन करने के लिये उक्त संकल्प द्वारा कोई रोक नहीं है। अतः बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों का अवधि विस्तार तथा रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा पर नियोजन का कार्य नियमानुसार तथा निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण कर ली जाए;

(i) अवधि विस्तार देने की कार्रवाई दिनांक 15.05.2013 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाए।

(ii) 15 मई से 20 जून तक रिक्त पदों के विरूद्ध विज्ञापन निकालकर विधिवत चयन–पूर्ण कर ली जाए तथा

(iii) 30 जून तक योग्य एवं नवचयनित कर्मियों को नियोजन–पत्र निर्गत कर दिया जाए।

निदेश दिया जाता है कि उक्त दिशा निर्देश का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाए ताकि मध्याह्न भोजन का निर्वाध संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

ह०

4. जिन जिलों में सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त संकल्प के कारण नियोजन प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई थी उसे कंडिका–3 में अंकित समय सारणी के अनुसार पूर्ण कर ली जाय तथापि उसके लिये पुनः नया विज्ञापन प्रकाशित नहीं की जाय। किन्तु जहाँ नियोजन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई थी वहाँ कंडिका–3 में अंकित समय सारणी के अनुसार नियोजन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय।

5. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

6.5.

(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 855 / दिनांक 6.5.13

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।